

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर
दूरभाष नंबर 2368850, 2373675, फ़ैक्स नंबर 2362661

निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. एजेन्सी का नाम
2. पूरा पता
3. दूरभाष नंबर
4. फ़ैक्स नंबर
5. ई-मेल
6. एजेन्सी की प्रकृति
प्रोपराईटर
पार्टनर
कम्पनी
रजिस्टर्ड सोसायटी
7. स्थापना का वर्ष
8. एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि
नाम
पता
दूरभाष नंबर
ई-मेल
फ़ैक्स नंबर
9. एजेन्सी यदि किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार
उपलब्ध करती है, तो उसका विवरण
10. शुल्क जमा कराने की रसीद संख्या एवं दिनांक

दिनांक:

नाम एवं हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि

निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र (इनके अभाव में पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा)

1. संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि की दो पासपोर्ट साईज नवीनतम हस्ताक्षरयुक्त फोटो।
2. मतदाता पहचान पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
5. संबंधित जिला रोजगार अधिकारी का अनुशंसा पत्र (कि उक्त एजेन्सी का पंजीयन कर दिया जाये)
6. रूपये 1000/- का पंजीयन शुल्क नकद/निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट (डिमाण्ड ड्राफ्ट एकाउंट पेई नहीं होना चाहिये)
7. जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से कराये गये पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

रोजगार एजेन्सी के संचालन हेतु दिशा निर्देश

- 1— वे सभी संस्थान जो राज्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं उन्हें रोजगार विभाग में पंजीकरण कराना होगा। इसके अन्तर्गत वे संस्थाये सम्मिलित नहीं हैं, जो ठेका श्रम अधिनियम— 1970 एवं केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियमन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम—1979 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।
- 2— निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीकरण के लिये प्रथम वर्ष का शुल्क 1000/— रुपये तथा नवीनीकरण का शुल्क 200/— रुपये प्रतिवर्ष होगा। निजी रोजगार एजेन्सिया पंजीकरण समयावधि समाप्त होने से पूर्व अथवा उसके एक माह पश्चात तक ही अपना नवीनीकरण करवा सकेंगी अन्यथा उनका पंजीयन निरस्त समझा जावेगा।
- 3— ये एजेन्सियां सामान्यतः नियमित प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करायेगी तथा गैरकानूनी कार्य के व्यक्ति उपलब्ध नहीं करायेगी।
- 4— रोजगार एजेन्सी बेरोजगारों के पंजीकरण हेतु 100/— रुपये तक राशि वसूल कर सकेंगी तथा रोजगार उपलब्ध कराने पर उनके द्वारा ली जाने वाली प्रथम एक माह के वेतन की राशि से अधिक नहीं होगी।
- 5— नियोजक से लिया जाने वाला सेवा शुल्क निजी रोजगार एजेन्सी एवं नियोक्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय किया जा सकेगा लेकिन इसका प्रभाव नियोजित होने वाले आशार्थी पर नहीं पड़ना चाहिये।
- 6— रोजगार विभाग एवं निजी रोजगार एजेन्सियों के मध्य निरन्तर संवाद स्थापित करने की दृष्टि से एक मंच स्थापित किया जायेगा।
- 7— निजी रोजगार एजेन्सी एवं राज्य सरकार/रोजगार विभाग एजेन्सियों के नियमितीकरण हेतु अधिकृत व्यक्ति/कार्यालयों के साथ आपसी सहमति के आधार पर बैठके आयोजित करेंगे।
- 8— पंजीकृत एजेन्सियों द्वारा नियमित रूप से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में सांख्यिकीय सूचनायें रोजगार विभाग को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9— यदि निजी रोजगार एजेन्सियों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार/रोजगार विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करती पायी जाती है तो उनका पंजीयन रद्द करने के साथ ही जमा की गई पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी।

- 10— यदि कोई एजेन्सी अपना शाखा कार्यालय खोलना चाहती है तो उस पर भी नये पंजीयन की संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया लागू होगी।
- 11— पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी राज्य के समस्त, किसी भी रोजगार कार्यालय से बेराजगार आशार्थियों को चयन कर सकती है परन्तु बेरोजगारों के पंजीयन हेतु शिविर सिर्फ उसी जिले में लगा सकती है जहाँ वे पंजीकृत है।
- 12— एजेन्सी द्वारा पंजीयन शुल्क जमा करवाने के पश्चात किसी भी स्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।
- 13— किन्ही विशेष परिस्थिति के कारण यदि कोई एजेन्सी बंद होती है तो उसका दायित्व है कि वह रोजगार सेवा निदेशालय को तुरन्त सूचित करे।
- 14— किसी संस्था द्वारा संविदा पर कार्मिक उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय उस संस्थान के स्व विवेक पर निर्भर होगा।
- 15— पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके माध्यम से लगाये गये आशार्थियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम -1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान न हो अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

निजी रोजगार एजेन्सियों से अपेक्षित सांख्यिकी सूचना त्रैमासान्त----- वर्ष-----

क्र.सं.	विवरण	गत त्रैमासान्त तक	वर्तमान	योग
1	2	3	4	5
1	पंजीयन			
2	<u>नियोजित आशार्थियों की संख्या</u> (अ)-पुरुष (ब)-महिला			
3	<u>नियोजित आशार्थियों की श्रेणी</u> (अ)-अनुसूचित जाति (ब)-अनु जनजाति (स)-अन्य पिछडा वर्ग (द)-सामान्य वर्ग			
4	नियोजकों की संख्या जहाँ आशार्थी नियोजित हुये			
5	<u>नियोजित आशार्थियों का वर्ग</u> (अ)-प्रशासनिक (ब)-लिपिक (स)-तकनीकी (द)-अन्य			

6 अन्य सूचना जो आप देना चाहे:

7 सुझाव

हस्ताक्षर

प्रबंधक का नाम मय एजेन्सी की सील

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 4796-4847

दिनांक: 13-4-2004

समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोजगार विभाग में निजी रोजगार एजेन्सीज का पंजीकरण करना प्रारंभ किया है। पंजीकृत रोजगार एजेन्सियों को विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या दी जाती है। इस प्रकार पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी रोजगार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगार एजेन्सीज की तरह कार्य करेंगी।

राज्य में अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग के रोजगार कार्यालयों एवं इन निजी रोजगार एजेन्सियों में समन्वय आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के लिये निम्न दिशा निर्देश दिये जाते हैं।

- 1- यदि किसी निजी रोजगार एजेन्सी द्वारा रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों के नाम मांगे जाये तो उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थियों के नाम उपलब्ध करा दिये जायें। इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में निजी रोजगार संस्थाएँ अहम भूमिका निभा सकती है।
- 2- रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिये मान्यता प्राप्त निजी रोजगार संस्थाएँ विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र एक्स-1 अपने स्तर पर मुद्रित करवाकर उसमें पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लेकर उसे रोजगार कार्यालयों में जमा कराने पर उसका पंजीकरण कर लिया जायेगा। वैसे भी डाक द्वारा पंजीकरण कराने की व्यवस्था वर्तमान में लागू है। इस प्रक्रिया से अधिकाधिक इच्छुक व्यक्ति बिना रोजगार कार्यालय आये अपना पंजीकरण करवा पायेगे। वर्तमान में विभाग में पंजीकृत निजी रोजगार संस्थाओं की सूची संलग्न है।

ह0 / --
(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त
श्रम एवं रोजगार विभाग

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 4848-62

दिनांक: 13-4-2004

प्रतिलिपि सभी पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सियों को प्रेषित कर लेख है कि उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित सेवाएँ प्रदान करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों से समुचित सेवा शुल्क उनके द्वारा निर्धारित दरो के आधार पर लिया जा सकेगा।

ह0 / --
सयुक्त निदेशक,
रोजगार विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 19911-42

दिनांक: 03-12-2004

राजस्थान के समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष।

विषय :- निजी रोजगार एजेन्सियों के पंजीयन एवं निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान निदेशालय के पत्रांक:क्रमांक: प.7(15)ईएस/पीपीए /2004/16272-316 दिनांक 27-9-2004 की ओर आकृषित कर लेख है कि आप भविष्य में निदेशालय को निजी रोजगार एजेन्सियों के आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व उनकी पूर्ण जाँच करें तथा एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि को दो हस्ताक्षरित नवीन फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र व केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र अवश्य भिजवाये। साथ ही संबंधित जिलों की पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी से संपर्क कर ऐसी व्यवस्था करें कि एजेन्सी की त्रैमासिक सांख्यिकीय सूचना रोजगार सेवा निदेशालय में समय पर प्राप्त हो जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि 1000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट अकाउन्ट पेई नहीं होना चाहिये, इसके स्पष्ट निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी ऐसे बैंक ड्राफ्ट निदेशालय में प्राप्त हो रहे हैं जिनके कारण पंजीयन प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अतः रोजगार कार्यालयध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिले की निजी रोजगार एजेन्सी से पंजीयन संबंधी आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर, आवश्यक समस्त प्रमाण पत्रों की पूर्ति करवाकर ही निदेशालय को अग्रेषित करें तथा समय समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि उक्त एजेन्सी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को अनुपालना कर रही है। इनसे संबंधित किसी भी प्रकरण या त्रुटि के लिये कार्यालयध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय

ह0/---

(जे.पी.विमल)

आयुक्त, श्रम तथा नियोजन
दूरभाष संख्या -2373676

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2006/ 8575-8606

दिनांक: 19-8-2006

समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

परिपत्र

इस निदेशालय के पत्र क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2004/19411-42 दिनांक 3-12-2004 द्वारा निजी रोजगार एजेन्सियों के पंजीयन एवं निरीक्षण करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये थे इसी अनुक्रम में निजी रोजगार एजेन्सियों के पंजीयन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त होने पर निजी रोजगार एजेन्सियों का पुलिस वैरीफिकेशन कराकर पंजीयन हेतु निदेशालय को अपनी अनुशंषा के साथ प्रेषित किया जाये।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जाये।

ह0/—
(अजय सिंह)
निदेशक

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 12369-643

दिनांक: 25-8-2007

समस्त पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी, राजस्थान।

परिपत्र

रोजगार विभाग में पंजीकृत समस्त निजी रोजगार एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आशार्थियों का अधिकाधिक हित रखने की दृष्टि से यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसी भी नियोक्ता द्वारा जो उनके माध्यम से आशार्थी प्राप्त करते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम वेतन दिये जाने की जो व्यवस्था श्रम विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित की हुई है उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जावे व रोजगार प्राप्त करने वाले आशार्थियों को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान न हो। इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करने पर नियमान्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ह0/---
(हनुमन्त सिंह भाटी)
निदेशक

क्रमांक:प.7(15)ईएस/पीपीए/06-07/ 12644-76

दिनांक: 25-8-2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

ह0/---
निदेशक